तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/11/17	[illegible] उपस्थित। अपीलार्थी [illegible] से वकील [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया। [illegible] 10 [illegible] [illegible] ही इसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते [illegible] 5.1.18 को पेश हो। [illegible]
5/1/18	[illegible] साधिक आदेश दिनांक 14/11/17 उपस्थित। की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 8/1/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]
8/1/18	[illegible] उपस्थित। [illegible] वास्ते [illegible] दिनांक 16/1/18 को पेश हो।
16/1/18	S.D.O. [illegible] उपस्थित। [illegible] अपील निर्णय किया जाता है तथा दिनांक 21.7.16 को [illegible] (confirm) किया जाता है। [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/99ए/2016

वउनवान

1. सुमेरचन्द जाटव पुत्र स्व0 श्री लच्छीराम जाति जाटव निवासी ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायल

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र पुत्र फैलीराम जाति जाटव निवासी सौंखर
2. मैनादेवी पत्नी बाबूलाल जाति जाटव निवासी बाई पास खेरली
3. अमरसिंह पुत्र नेमी जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
4. प्रीतम पुत्र नेमीचन्द जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
5. गीता वेवा गोविन्दा जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
6. हेमन्त पुत्र गोविन्दा उम्र 10 साल नाबालिग
7. कृष्णा पुत्र गोविन्दा उम्र 7 साल नाबालिग
8. नरसी पुत्र गोविन्दा उम्र 4 साल नाबालिग
9. नाबालिगान जरिये सपरस्त गीता वेवा गोविन्दा जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
10. जीतेन्द्र पुत्र किशन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
11. सविता पुत्री किशन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
12. पुष्पा पुत्री किशन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
13. दीपा पुत्री किशन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
14. राजो पुत्री किशन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
15. दीनदयाल पुत्र नेमी जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
16. उप पंजीयक कठूमर

——— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री धानसिंह कर्दम एडवोकेट – वकील सायल

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका एडवोकेट– वकील गैरसायल सं01

आदेश

दिनांक 16.01.2018

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 87 रकवा 0.57 हे. ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी में सायल का 119/180 हिस्सा है शेष हिस्सा गैरसायलान का है। उपरोक्त विवादित आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। गैरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने को तैयार नहीं है। गैरसायलान जबर्दस्त लोग है जो सायल को विवादित आराजी पर उसके हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। विना तकासमा कराये कच्चा पक्का निर्माण करने व रहन वय करने को अमादा है। गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को अपार हानि व असुविधा होगी। जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। सायल ने गैरसायलान को आराजी खसरा नम्बर 87 रकवा 0.57 हे. वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर में सायल के हिस्सेनुसार कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने विना तकासमा कराये किसी भी हिस्से पर कच्चा पक्का निर्माण न करने व रहन वय ना करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये समन तलब किया। गैरसायल संख्या 2 ला09 व 15–16 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरुद्ध दिनांक 31.08.2018 को एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। गैरसायल संख्या1 ला014 बाबजूद तामील

उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 06.09.2017 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायल संख्या 10 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व दिनांक 14.12.2017 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

गैरसायल संख्या 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायल का विवादित आराजी में 119/180 हिस्सा नहीं है। केवल मात्र 5 विस्वा जमीन है। जिसमें से भी 2 विस्वा भूमि सायल ने अपने भाई ताराचन्द को तरफ दक्षिण सत्यवृत चेयर मैन की दीवार के तरफ का हिस्सा जरिये ईकरारनामा दिनांक 08.06.2016 को बेचान कर कब्जा करा दिया। इसी आराजी में से सायल ने 11/20 हिस्सा दर हिस्सा 1/3 को मीना पत्नी बाबूलाल सहखातेदार से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया है। विवादित आराजी अवट न होकर पूर्व से ही वंटी हुई है। खसरा नम्बर 57-58 का 1/3 पूर्ण हिस्सा जरिये ईकरारनामा ताराचन्द सुमेरचन्द व रामजीतसिंह ने कमलेश पत्नी सत्यपाल को विकय कर दिया है। इस प्रकार विवादित आराजी में सायल की मात्र 3 विस्वा भूमि बची है। विवादित आराजी खेरलीरेल के संटवा स्थित होने से इसमें आबादी बस चुकी है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 [illegible] खेरलीरेल की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है विना तकासमा रहन वय करना चाहते है कच्चा पक्का निर्माण करना चाहते है। गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अधिवक्ता सायल के तथ्यों का विरोध करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी अवट ना होकर पहले से ही वंटी हुई है। विवादित आराजी में सायल की मात्र 3 विस्वा भूमि बची है शेष को वेच चुका है। विवादित आराजी गांव के संटवा होने से इस आराजी में आबादी बच चुकी है कोई हिस्सा खाली नहीं है। सायल विवादित आराजी का किसी तरह से बटवारा कराने का अधिकारी नहीं है तमाम तथ्य सायल ने गलत दर्ज किये है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न जवाव दर0 प्रस्तुत जमाबन्दी की उक्त प्रतियों के अवलोकन व विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। मुताबिक नकल जमाबन्दी ग्राम खेरलीरेल संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या का का खसरा नम्बर 87 रकवा 0.57 हे. में सायल सुमेरचन्द पि0 लच्छीराम जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 2058 दिनांक 21.05.2017 एंव जरिये विक्रय नामान्तकरण संख्या 2152 दिनांक 21.06.2016 के सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी/वादी ने दावा तकसीम आराजी खसरा नम्बर 87 रकवा 0.57 हे. वाके ग्राम खेरलीरेल में से अपने हिस्सा का पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भूमि मौके पर बंटी होने एंव सायल द्वारा अपने हिस्से का जरिये इकरारनामा वेचान कर देने का उल्लेख किया है। गैरसायल संख्या 1 ने उक्त प्रति इकरारनामा पेश की है जो रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण साक्ष्य नहीं किये जा सकते। ईकरारनामों के आधार पर पक्षकारान सक्षम न्यायालय में निष्पादन की कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है।

मुताविक राजस्व रेकार्ड सायल/वादी विवादित आराजीयात का सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। अपने हिस्से का तकासमा कराने का दावा विचाराधीन है। रेकार्डेड खातेदार का मौके पर काविज काश्त होने का अनुमान किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों विचारणीय विन्दु प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति सायल के पक्ष में सावित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है पक्षकारान वाद पत्र के अंतिम निस्तारण तक विवादित आराजीयात की रेकार्ड एंव मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 16.01.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर